न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 13 / 2021

वादी :–
हनुमानसिह पुत्र श्री भंवरलाल जाति माली
निवासी सालवाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भूमिधारी जरीये तहसीलदार,
पीपाड़ शहर, जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री पृथ्वीराज चौहान वादीगण की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक 25.06.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नं 231 / 3 क्षेत्रफल 0.7038 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं 727 / 3 क्षेत्रफल 0.4611 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 742 / 5 क्षेत्रफल 0.2265 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 3 कुल खसरे 1.3914 हेक्टेयर भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 821 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का. नाम हड़मानराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम हनुमानसिंह है। वादी के आधार कार्ड, परिचयपत्र, परिवारकार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, बैंक डायरी में वादी का सही नाम हनुमानसिंह अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भूलवश सेवन से हड़मानराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 18.01.2021 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नहीं है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम हड़मानराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र भंवरलाल किये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 18.01.2021 को उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। उक्त वादपत्र वादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है – वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम सालवाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं 231 / 3 क्षेत्रफल 0.7038 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं 727 / 3 क्षेत्रफल 0.4611 हेक्टेयर किस्म बारानी

प्रथम, खसरा नं 742/5 क्षेत्रफल 0.2265 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 3 कुल खसरे 1.3914 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हड़मानराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र भंवरलाल घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया ।

प्रतिवादी तहसीलदार, पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रतिवादी तहसीलदार, पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम सालवाखुर्द 231/3, 727/3, 742/5 में दर्ज नाम हड़मानराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र भंवरलाल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। नाम संशोधन की अनुसंशा की है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात एवं जवाब दावां का अवलोकन किया गया तथा बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आद्देश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सालवाखुर्द पटवार क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा नं. 231/3 क्षेत्रफल 0.7038 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नं 727/3 क्षेत्रफल 0.4611 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं 742/5 क्षेत्रफल 0.2265 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 3 कुल खसरे 1.3914 हेक्टेयर भूमि में दर्ज नाम हडमानराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र भंवरलाल दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 25.06.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर